

संख्या व
नम्बर व
जाति व
तहसील

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 136/2022

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
बचु पुत्र पिराणा जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. उरसा पुत्र शोरा 2. सलीमत पत्नी शोरा 3. सालख पुत्र शोरा 4. नथा पुत्र शोरा 5. करीम पुत्र भभूरा 6. कादरा पुत्र भभूरा 7. दीना पुत्र भभूरा 8. मोयब पुत्र भभूरा 9. लखाना पुत्र भभूरा 10. सरीफ पुत्र भभूरा जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादीगण - श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 10 :- कैलाशसिंह।

--: निर्णय :-

दिनांक : 24.03.2023

वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 10 के अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल झांफलीकला के ग्राम नेगरड़ा के खेत खसरा नम्बर 9, 93 रकबा क्रमशः 9.1216, 5.3661 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	करीम पुत्र भभूरा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	0.4886	बा.दो.		हरा
			93	0.2874	बा.दो.		
			2	0.7760	बा.दो.		
2	बचु पुत्र पीराणा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	3.0405	बा.दो.		नीला
			93	1.7887	बा.दो.		
			2	4.8292	बा.दो.		
3	कादरा पुत्र भभूरा, दीना पुत्र भभूरा, मोयब पुत्र भभूरा, लखाना पुत्र भभूरा, सरीफ पुत्र भभूरा, नथा पुत्र शोरा, सालख पुत्र शोरा, उरसा पुत्र शोरा, सलीमत पत्नी शोरा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	5.5925	बा.दो.		गुलाबी
			93	3.2900	बा.दो.		
			2		बा.दो.		

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 24.03.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिक्री पर्चा
(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 136/2022

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
बचू पुत्र पिराणा जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. उरसा पुत्र शेरा 2. सलीमत पत्नी शेरा 3. सालख पुत्र शेरा 4. नथा पुत्र शेरा 5. करीम पुत्र भभूरा 6. कादरा पुत्र भभूरा 7. दीना पुत्र भभूरा 8. मोयब पुत्र भभूरा 9. लखाना पुत्र भभूरा 10. सरीफ पुत्र भभूरा जाति मुसलमान, निवासी नेगरड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 11. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादीगण - श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 10 :- कैलाशसिंह।

--: डिक्री पर्चा ::--

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक : 24.03.2023

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता कैलाशसिंह द्वारा आज तारीख 24.03.2023 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल झांफलीकला के ग्राम नेगरड़ा के खसरा नम्बर 9, 93 रकबा क्रमशः 9.1216, 5.3661 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -


क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	करीम पुत्र भभूरा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	0.4886	बा.दो.		हरा
			93	0.2874	बा.दो.		
			2	0.7760	बा.दो.		
2	बचू पुत्र पीराणा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	3.0405	बा.दो.		नीला
			93	1.7887	बा.दो.		
			2	4.8292	बा.दो.		
3	कादरा पुत्र भभूरा, दीना पुत्र भभूरा, मोयब पुत्र भभूरा, लखाना पुत्र भभूरा, सरीफ पुत्र भभूरा, नथा पुत्र शेरा, सालख पुत्र शेरा, उरसा पुत्र शेरा, सलीमत पत्नी शेरा कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	नेगरड़ा	9	5.5925	बा.दो.		गुलाबी
			93	3.2900	बा.दो.		
			2		बा.दो.		


तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा अभिन्न अंग रहेगा।



जारी की गई।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 24.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव


सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

